

उत्तर:- भगवानसिंह वना कर्मचारी

08-12-25

पत्रावली चेका हुई। वादी एवं उनके बकील अनुपस्थित।  
बार-2 आवाज दिलाई गई। उसके बावजूद भी कोई  
उपस्थित नहीं आया। अतः पत्रावली अदालत दायरी एवं  
अदालत फेरनी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

पत्रावली फेरनी नुमां होकर नंबर से कम  
है, बाद तक मिल जाया हासिल दफ्तर हो।

*Jr*

उपखण्ड अधिकारी  
मुसावर (भरतपुर) राजप